न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय) सांगानेर।

वाद संख्या 73/2021

निर्णय दिनांक 03.09.2021

श्योजीराम चौधरी पुत्र श्री कानाराम जाट, जाति जाट, निवासी हाटाला की ढाणी, ग्राम मनोरियावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

-----वादी

बनाम

राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

----प्रतिवादी

वाद बाबत् घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ति

निर्णय

वादी ने वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि भूमि हाल खाता संख्या 116 खसरा नम्बर 408/1 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, 469 रकबा 0.2400 हैक्टेयर, कुल किता 2 कुल रकबा 0.4200 हैक्टेयर भूमि ग्राम मनोहरियावाला, पटवार हल्का लाखना, भू.अभि.नि. क्षेत्र मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है जो राजस्व रिकॉर्ड में श्योजीराम पुत्र रामपाल के नाम से इन्द्राज राजस्व जमाबन्दी 2074 से 2077 में अंकित है। वादी का सजरा खानदान निम्न प्रकार है:—

कानाराम (फौत)

रामलाल (नाऔलाद फौत) — श्योजीराम

आधार वर्ष 2050 में गत खाता संख्या 56 खसरा नम्बर 403 रकबा 0.28 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 408 रकबा 0.32 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 469 रकबा 0.24 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.84 हैक्टेयर के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार रामलाल वल्द कानाराम का 1/2 भाग व सूरजकरण वल्द भौरीलाल का 1/2 भाग अंकित था। यह वाद रामलाल के हिस्से 1/2 के सम्बन्ध में है। कानाराम के दो पुत्र थे। जिसमें रामलाल सन् 1975 में [illegible] फौत हुआ था, रामलाल एकमात्र विधिक वारिस वादी [illegible] 1990 को रामलाल की उक्त आराजी [illegible] के पक्ष में तस्दीक [illegible] गया है, परन्तु नामान्तरकरण संख्या 10 दिनांक [illegible]0/05/1990 खोला [illegible] जिसमें वादी श्योजीराम को रामलाल का पुत्र बताया गया, जबकि वादी श्योजीराम रामलाल का सगा भाई है चूंकि नामान्तरकरण संख्या 10 विरासत का नामान्तरकरण था इसलिए भूलवश वादी श्योजीराम को रामलाल का पुत्र अंकित

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:43:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (साँगानेर)

कर दिया। वादी श्योजीराम व मृतक रामलाल दोनों कानाराम के पुत्र है। संवत् 2056–59 की जमाबन्दी में श्योजीराम पुत्र रामलाल के स्थान पर श्योजीराम पुत्र रामपाल गलत दर्ज हो गया। यह गलती भी लिखने में चूकवश हुई है नामान्तरकरण संख्या 49 दिनांक 17/03/2004 के माध्यम से सूरजकरण व श्योजीराम के मध्य तकासमा हो गया। विभाजन के बाद जो इन्द्राज हुआ उसमें भी वादी श्योजीराम का नाम राजस्व रिकॉर्ड में श्योजीराम पुत्र रामपाल ही अंकित कर दिया गया। जबकि वास्तव में वादी श्योजीराम के सगे भाई का नाम रामलाल था। रामलाल नाऔलाद फौत होने से वादी उसका विधिक वारिस है। इसलिए उक्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में श्योजीराम पुत्र कानाराम अंकित किया जाना चाहिए परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता का नाम रामलाल गलत लिखा गया है। जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। वादी श्योजीराम कानाराम का पुत्र है और रामलाल का सगा भाई है। जमाबन्दी में श्योजीराम पुत्र रामपाल का नाम दर्ज है, इस कारण नाम अन्तर आने की वजह से वादी अपनी भूमि को ना तो उन्नत कर पा रहा है और ना ही उसका लाभ उठा पा रहा है। रामलाल नाऔलाद फौत हुआ और उसका एकमात्र विधिक वारिस उसका भाई वादी श्योजीराम ही है लेकिन नामान्तरकरण संख्या 10 दिनांक 30/05/1990 में पिता का नाम गलत अंकित कर दिया गया, जिसको दुरूस्त करवाया जाना आवश्यक हो गया है। के.सी.सी. (किसान क्रेडिट कार्ड) बनवाने हेतु वादी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तो आपत्ति आने पर वादी को इसे ठीक कराने हेतु यह वाद प्रस्तुत करना पड रहा है और यही वाद का कारण है। इस दुरूस्ती हेतु वादी ने प्रतिवादी को निवेदन किया तो उन्होनें दिनांक 14/06/2021 को इन्कार कर न्यायालय श्रीमान से आदेश लाने हेतु कहा इस कारण यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। दावा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी घोषणा का डिक्री किया जाकर वादी को वादखण्ड 1 में वर्णित आराजी का खातेदार घोषित किया जावें तथा राजस्व रिकॉर्ड में अंकित श्योजीराम पुत्र रामपाल के स्थान पर श्योजीराम पुत्र कानाराम अंकित किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे।

दावा वकील वादी द्वारा पेश किये जाने पर दर्ज [illegible] किया जाकर प्रतिवादी की तलबी व जवाब सरकार [illegible] जवाब सरकार इस आशय का पेश किया गया कि बिन्दू संख्या 1 [illegible]जस्व रिकॉर्ड के अनुरूप स्वीकार है, बिन्दू संख्या 2 वादी स्वयं सिद्ध करे, बिन्दू संख्या 3 व 4 स्वीकार है, बिन्दू संख्या 5 में संवत् 2056–59 की जमाबन्दी में श्योजीराम पुत्र रामलाल के स्थान पर लिपिकीय त्रुटि के कारण श्योजीराम पुत्र रामपाल दर्ज हो गया था जो स्वीकार है, श्योजीराम के सगे भाई का नाम रामलाल था, अन्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:43:39 IST
Reason: SelfAttested

खण्ड अधिकारी
द्वितीय (साँगानेर)

घोषणा स्वयं वादी सिद्ध करें, बिन्दू संख्या 6 में निहित घोषणा का विवरण बिन्दू संख्या 5 के अनुसार स्वीकार है, बिन्दू संख्या 7 व 8 वादी स्वयं सिद्ध करें, बिन्दू संख्या 9, 10 व 11 कानूनन है, श्रीमानजी श्योजीराम पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी मनोहरियावाला का निवासी है। जवाब सरकार पेश होने पर बहस वकील वादी सुनी गयी। वकील वादी ने दावे का समर्थन करते हुए मुताबिक जवाब सरकार व दस्तावेज अनुसार दावा वादी डिक्री किया जावे।

वादी ने दावें के समर्थन में ग्राम मनोहरियावाला, तहसील सांगानेर की प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी संवत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी खाता संख्या 116, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी आधार संवत् 2050 खाता संख्या 56, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी संवत् 2052–55 खाता संख्या 95, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी संवत् 2056–59 खाता संख्या 99, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी संवत् 2060–63 खाता संख्या 108, प्रमाणित प्रतिलिपि नामान्तरकरण संख्या 10 दिनांक 31/05/1990, प्रमाणित प्रतिलिपि नामान्तरकरण संख्या 49 दिनांक 17/03/2004, छायाप्रति आधार कार्ड एवं पहचान पत्र, असल प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत जगन्नाथपुरा बतौर दस्तावेज पेश किये। वकील वादी की बहस पर गौर किया व दावा जवाब सरकार एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का परीक्षण किया गया तो वादी का नाम नामान्तरकरण संख्या 10 खोलते समय श्योजीराम के पिता का नाम रामलाल गलत अंकित कर दिया गया जबकि प्रस्तुत दस्तावेजात सरपंच का प्रमाण पत्र जवाब सरकार के आधार पर वादी के पिता का नाम दुरूस्त किया जाना उचित समझते है।

वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर वादी को भूमि हाल खाता संख्या 116 खसरा नम्बर 408/1 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, 469 रकबा 0.2400 हैक्टेयर, कुल किता 2 कुल रकबा 0.4200 हैक्टेयर ग्राम मनोहरियावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर का खातेदार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रिकॉर्ड में अंकित श्योजीराम पुत्र रामपाल के स्थान पर श्योजीराम पुत्र कानाराम दुरूस्त किये जाने के आदेश [illegible] है [illegible] राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जावें। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल [illegible]र हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:43:39 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 03.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश कुमार नायक)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी जयपुर
(द्वितीय) सांगानेर।

उपखण्ड अधिकारी (सांगानेर)